न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/75/2025	2025/260	25.04.2025	09.07.2025

1– हरिओम पुत्र धर्मवीर जाति जाट निवासी माधाका माजरा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

2– पवन चौधरी पुत्र धर्मवीर जाति जाट निवासी माधाका माजरा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थीगण

बनाम

1– राजकुमार गोयल पुत्र शम्भूदयाल जाति महाजन निवासी मकान नं0 270 सैक्टर गुडगाँवा (हरियाणा)

2– राज० स्टेट जर्ये तहसीलदार कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा राज0

मुन्तकिली प्रार्थना

उपस्थितः–

01. श्री मुकेश कुमार सैनी –वकील प्रार्थी

02. श्री रामफल यादव –वकील अप्रार्थी–1

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 99/2025 हरिओम बनाम राजकुमार वगै0 को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया है, कि वादीगण द्वारा एक दावा उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा में बयअनुवान हरिओम व अन्य बनाम राजकुमार गोयल व अन्य मुकदमा नं. 99/2025 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दावा मय स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2025 को प्रस्तुत किया गया है। मिन वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दिनाक 09.04.2025 को पेश करने के बाद तहत अदालत द्वारा नोटिस जारी किये गये है। कि उक्त अनुवानी मुकदमें में तारीख पेशी 09.04.2025 के बाद आगामी तारीख पेशी 29.04.2025 नियत की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अलानियत तौर पर कोर्ट परिसर कोटकासिम में कई लोगो से यह कहा हैं, कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है। और मै इसी तारीख पर 29.04.2025 को दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र करवाकर रहूँगा। और प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के चौम्बर के आस पास घूमते देखा है। अगर यदि अप्रार्थी संख्या 1 के कहे अनुसार मिन प्रार्थीगण/वादीगण का दावा खारिज कर दिया जाता हैं, तो मिन प्रार्थीगण ध्वादीगण के हक हकूक जायल होते है। इसलिए मिन प्रार्थीगण/वादीगण को उक्त मुकदमें में पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में कोई

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

न्याय की उम्मीद नही हैं इसलिए उक्त मुकदमे को सुनवाई हेतु दीगर अदालत में मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में व न्यायोचित है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवान हरिओम व अन्य बनाम राजकुमार गोयल व अन्य मुकदमा नं. 99/2025 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दायर किया हुआ है। स्थगन प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जा चुका है, चूकि जवाब दावा राजकुमार गोयल द्वारा पेश कर दिया गया है, प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. एक्ट. प्रार्थी द्वारा पेश किया गया था, स्थगन आदेश जारी किया उस समय ही यह कहा गया था कि यह आदेश आगामी तारीख पेशी तक ही है। और प्रतिवादी को जरिये रजि0 डाक सूचना भेजे तथा उनके उपस्थित होने पर आवश्यक रूप से बहस करे। यदि बहस करने से टाल बाल करे तो ऐसी सूरत में स्थगन आदेश आगे प्रभावी नही माना जावेगा। और प्रार्थी के द्वारा बहस नही किये जाने पर ही स्थगन आदेश आगे नही बढाया गया। प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये है, नितान्त गलत है। पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी के विरूद्व गलत तथ्यो पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जबकि अभी उक्त वाद में न तो विवाधक बिन्दू कायम हुऐ है न ही कोई साक्षी हुये है, और जब तक विवाधक बिन्दू और साक्ष्य न हो तब तक कोई अन्तिम निर्णय नही होता है, इससे स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा प्रथम सुनवाई के दिन ही अप्रार्थी पर आरोप लगा दिया और यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में तहत अदालत से बिन्दूवार जवाब प्राप्त किया गया। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ने जर्ये पत्राक 223 दिनाक 17.06.2025 के द्वारा प्रार्थना में वर्णित बिन्दूओ को नकारते हुऐ बिन्दूवार जवाब तैयार कर पेश किया गया है, जिसके अनुसार उनवानी प्रकरण बअनुवानी पत्रावली संख्या 99/2025 हरिओम बनाम राजकुमार वगै0 विचाराधीन है, प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्याही की जा रही है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी न तो किसी पक्षकार से सर्म्पक में है, और न ही कोई नियम विरूद्व कार्यवाही की गयी है। यदि फिर भी वाद को सुनवाई के लिये अन्य सक्षम न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन बअनुवान मुकदमा बअनुवानी पत्रावली संख्या 99/2025 हरिओम बनाम राजकुमार को दिगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है, साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही विधिवत कार्यवाही पर भी आक्षेप किया गया है, प्रकरण में स्पष्ट है, कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद का शिध निस्तारण किये जाने हेतु ही छोटी–तारीख पेशीयॉ नियत की जा रही है इसमें पीठासीन की कोई दुरभावना नही है। विचाराधीन प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा कोर्ट मैनवल के अनुसार ही विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर,
खैरथल–तिजारा (राज0)